

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 656]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2019 — आश्विन 13, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2019

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 का प्रारूप

क्रमांक 82/सीएसईआरसी/2019. — स्वभाव से पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण केन्द्र सरकार, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास पर जोर दे रही है। विद्युत अधिनियम, 2003 भी इसके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नीति बनाये जाने का उपबंध करता है तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों (राज्य आयोगों) को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उन्नयन हेतु उपाय करने की आज्ञा देता है।

सन् 2014 में, केन्द्र सरकार ने, वर्ष-2022 तक, छतों पर ग्रिड से संयोजित फोटोवोल्टाइक (जी. आर. पी. व्ही.) प्रणाली की कुल संचित क्षमता 40 गीगा वॉट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, राज्य सरकारों और नियामकों की सहभागिता से शीर्ष से नीचे की ओर प्रोत्साहन (टॉप-डॉउन इंपेटस) और नीचे से ऊपर की ओर क्रियान्वयन (बॉटम अप एक्सीक्यूशन) का योजनाबद्ध संयोजन करते हुए, केन्द्र सरकार ने छतों के ऊपर सौर प्रक्षेत्रों को उन्नत करने हेतु कई उपाय अपनाये हैं।

केन्द्र सरकार के नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम. एन. आर. ई.) के दिशानिर्देशों के, अनुसार, न्यूनतम 01 किलो वॉट की क्षमता का सौर ऊर्जा पी. व्ही. संयंत्र, ग्रिड संयोजन के लिए पात्र है। अधिकांश राज्यों के छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित विनियमों में ऐसे संयंत्र के लिए नेट मीटरिंग और न्यूनतम 1 किलो वॉट क्षमता के संयंत्रों के लिए ग्रिड संयोजन की व्यवस्था है।

विनियामक मंच भी ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरण ऊर्जा के विकेन्द्रित स्रोतों के लिए वर्ष 2019 के अप्रैल माह में आदर्श विनियमों का प्रारूप लेकर आया है।

इसके अलावा, ऐसी परियोजनाओं से वितरण अनुव्यतिधारी द्वारा उपाजित विद्युत को उसके नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता के लिए भी अर्हित किया जा सकता है।

उपरोक्त को वृष्टिगत रखते हुए तथा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42, 61, 86 सहपठित धारा 181 के अधीन विहित शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सशक्त करने वाली सभी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग), एतद्वारा, राज्य में विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टेरीफ हेतु निर्बंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-
 - 1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 कहलायेंगे।
 - 1.2 ये विनियम, राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में होगा।

2. परिभाषायें एवं निर्वचन

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसमें हुए पश्चात्वर्ती संशोधन;
- (ख) "अनुबंध" से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञापतिधारी और किसी व्यक्ति के मध्य निष्पादित अनुबंध;
- (ग) "देयक चक्र (बिलिंग साइकल) या देयक अवधि (बिलिंग पीरियड)" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वह अवधि, जिसके लिए वितरण अनुज्ञापतिधारी द्वारा विभिन्न संवर्गों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत देयक तैयार किया जाता है;
- (घ) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;
- (ङ) "अनुबंधित मांग" या "स्वीकृत भार" से अभिप्रेत है किलोवॉट, किलोवोल्ट एम्पियर या ब्रेक हार्स पावर (बी.एच.पी.) में अभिव्यक्त वह अधिकतम मांग, जिसकी आपूर्ति किये जाने हेतु अनुज्ञापतिधारी सहमत हो और जिसे अनुज्ञापतिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध में दर्शाया गया हो;

परन्तु, बहुमंजिला इमारतों (आवासीय अथवा व्यवसायिक) के संबंध में अनुबंधित मांग से तात्पर्य सामुहिक उपयोग हेतु रक्षित क्षेत्र/सुविधाओं सहित सभी व्यक्तिगत इकाईयों के भार के योग से होगा।

- (च) "विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई)" से अभिप्रेत है रूफटॉप सोलर पीव्ही प्रणाली या आयोग द्वारा समय समय पर अनुमोदित अथवा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, द्वारा मान्यता प्राप्त नवीकरणीय स्रोतों के अन्य प्रकारों द्वारा 132 किलोवोल्ट या उससे कम के वोल्टेज स्तर पर विद्युत प्रणाली में प्रवाहित की गई विद्युत;
- (छ) "वित्तीय वर्ष" या "वर्ष" से अभिप्रेत है अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में एक अप्रैल से शुरू होने वाली तथा आगामी वर्ष के इक्कीस मार्च को समाप्त होने वाली अवधि;
- (ज) "उत्पादन मीटर" से अभिप्रेत है वह ऊर्जा मीटर, जो उस बिन्दु पर संस्थापित हो जिस पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत किसी पात्र उपभोक्ता को प्रदाय/वितरित की जाए;
- (झ) "ग्रिड योग्य ऊर्जा" से अभिप्रेत है ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जिसमें भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, द्वारा निर्धारित स्तर एवं विशेषताओं से युक्त उपकरणों का उपयोग किया गया हो, द्वारा उत्पादित विद्युत;
- (ञ) "होस्टिंग क्षमता" से अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन परिभाषित क्षमता;
- (ट) "स्वतंत्र विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली" या "आईडीआरईएस" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा संस्थापित वह विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, जो वितरण अनुज्ञापतिधारी के नेटवर्क से संयोजित हो और जो विद्युत क्रय अनुबंध के अधीन वितरण अनुज्ञापतिधारी को अथवा सुगम्यता के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत की आपूर्ति करता हो अथवा उसका स्वयं उपभोग करता हो ;

- (ट) "आईडीआरईएस स्वामी" वह व्यक्ति है जो आईडीआरईएस सयंत्र का स्वामी है।
- (ड) "अन्तर-संयोजन बिन्दु" से अभिप्रेत है पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कट-आउटस/स्वीचगियर के निकासी बिन्दु का नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से संयोजन का बिन्दु ;
परन्तु यह कि उच्चदाब (एच टी) के स्तर में संयोजित पात्र उपभोक्ता की दशा में, "अन्तर-संयोजन बिन्दु" से अभिप्रेत होगा ऐसे उपभोक्ता के उपकरण समूह के पास स्थापित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मीटरिंग क्यूबिकल के निकासी बिन्दु का नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से संयोजन का बिन्दु;
- (ढ) "बीजक/देयक (इन्हाइस)" से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी कोई मासिक बिल/अनुपूरक बिल अथवा मासिक बीजक/अनुपूरक बीजक;
- (ण) "कि.वा.पी." से अभिप्रेत है किलो वॉट पीक;
- (त) "नेट मीटर" या "उभयमार्गीय मीटर" (बाई डायरेक्शनल मीटर) से अभिप्रेत है वह ऊर्जा मीटर, जो विद्युत के आयात एवं निर्यात दोनों को दर्ज करने में समर्थ हो;
- (थ) "नेट मीटरिंग" से अभिप्रेत है ऐसी व्यवस्था, जिसके अधीन, किसी पात्र उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित, विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजना से, किसी बिलिंग अवधि के दौरान, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस उपभोक्ता को प्रदान की गई विद्युत का समायोजन करने के पश्चात्, उस परियोजना से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की गई अतिशेष विद्युत की मात्रा ज्ञात हो;
- (द) "बाध्य इकाई" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 (1) (ई) के अधीन आज्ञापित तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2016 के अधीन चिन्हांकित इकाई;
- (ध) "परिसर" से अभिप्रेत है किसी भूमि, भवन या अधोसंरचना पर निर्मित छतोपरि अथवा उत्थित क्षेत्र या उसका कोई भाग अथवा उनका समुच्चय, जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय करने के लिए पृथक मीटर या मीटरिंग व्यवस्था की गई हो;
- (न) "प्रोज्युमर" वह व्यक्ति है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करता है तथा जो उसी नेटवर्क का उपयोग कर ग्रिड में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा भी अंतःक्षेपित कर सकता हो;
- (प) "प्रोज्युमर विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली" या "पीडीआरईएस" से अभिप्रेत है नेट मीटरिंग के अंतर्गत प्रोज्युमर द्वारा स्थापित विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली;
- (फ) "नवीकरणीय ऊर्जा" से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ग्रिड गुणवत्ता की विद्युत और उसमें ऐसे स्रोतों का समुच्चय भी शामिल है;
- (ब) "नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता एवं जारी करने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुरूप जारी प्रमाणपत्र;
- (भ) "नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली" से अभिप्रेत है ऐसा उत्पादन केन्द्र जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से या उसके समुच्चय से विद्युत उत्पादित करता हो;

- (म) "छतोपरि सौर पी.व्ही. प्रणाली" से अभिप्रेत है उपभोक्ता के परिसर की छतो पर संस्थापित वह सौर फोटो वोल्टिक विद्युत प्रणाली, जो कि फोटो वोल्टिक टेक्नालॉजी के माध्यम से विद्युत में सीधे संपरिवर्तन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता हो;
- (य) "व्यवस्थापन अवधि" से अभिप्रेत है वह अवधि जिसके अंत में वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं प्रोज्युमर के मध्य नेट मीटरिंग का व्यवस्थापन, सामान्यतः अग्रेजी कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली तथा आगामी वर्ष के मार्च के इक्कतीस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि पर संघटित होता है;
- (र) "राज्य नोडल एजेंसी" या "एसएनए" से अभिप्रेत है राज्य में स्थित इकाई, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा, विकेंद्रित ऊर्जा परियोजना आदि को विकास करने वाले व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृति एवं अदायगी के समन्वयकृत विकास से संबंधित विषयों को निराकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया हो;
- (कक) "अन्य पक्ष के स्वामित्व" से अभिप्रेत है, ऐसा स्वामित्व जिसमें कोई डेवलपर, जो किसी ऐसी सौर ऊर्जा परियोजना का स्वामी है, जो उस परिसर पर स्थापित है, जो उसके द्वारा परिसर के स्वामी से व्यावसायिक पट्टे पर ली गई हो अथवा आय में हिस्सेदारी के अनुबंध के आधार पर प्राप्त की गई हो;
- (खख) "उपयोगी जीवनकाल" किसी छतोपरि, पी.व्ही सौर उत्पादक केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, 25 वर्ष।
- 22 सभी अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं यद्यपि इसमें विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है। अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इन विनियमों या अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं किन्तु राज्य में विद्युत उद्योग को लागू संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन, परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जैसा कि ऐसे विधि में उनके लिये समनुदेशित है।

3. विस्तार तथा लागू होना

3.1 ये विनियम निम्नलिखित को लागू होगा—

- क) प्रोज्युमर अथवा अन्य पक्ष के स्वामित्व के पीडीआरईएस। अन्य पक्ष के स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा परियोजना पर निम्नलिखित लागू होंगे—
- एक. छत या भूमि का स्वामी अपना परिसर किसी सौर ऊर्जा डेवलपर को परस्पर वाणिज्यिक व्यवस्था के आधार पर पट्टे अथवा भाड़े पर दे सकेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिसर का स्वामी किसी टर्नकी इन्स्टालर को परियोजना की रूपरेखा बनाने और उसे स्थापित करने का कार्य सौंपेगा। परियोजना डेवलपर और परिसर के स्वामी के मध्य कोई वाणिज्यिक व्यवस्था की जानकारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सम्मक्ष अभिलेख में रखे जाने हेतु प्रस्तुत की जावेगी।
- दो. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग दोनों में से किसी एक को जारी की जायेगी जैसा कि उभयपक्षों द्वारा तय कर उसे संसूचित किया जावेगा।
- ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय के क्षेत्र में संस्थापित आईडीआरईएस।

- 3.2 ये विनियम किसी व्यक्ति को वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने से नहीं रोकेंगे।
- 3.3 अधिनियम की धारा 42(2) के अधीन सुगम्यता अभिप्राप्त करने वाले उपभोक्ता भी अपने परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकेंगे बशर्त वह आईडीआरईएस के अधीन है।
4. **नियंत्रण अवधि:**
- 4.1 ये विनियम, राजपत्र में अपने अधिसूचन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
5. **वेब आधारित आवेदन प्रक्रिया**
- 5.1 इन विनियमों के अधिसूचन की तारीख से तीन माह के भीतर वितरण अनुज्ञापिधारी, विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए आवेदन पर कार्यवाही हेतु एक वेब आधारित प्रणाली लागू करेगा।
- 5.2 अनुदान संबंधी आवेदनो का निराकरण राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
6. **निगरानी एवं प्रतिवेदन हेतु व्यवस्था**
- 6.1 वितरण अनुज्ञापिधारी, प्रत्येक तिमाही में अपनी वेबसाइट पर विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) हेतु उस अवधि में वितरण तंत्र के प्रत्येक अवयवों की बढ़ाई गई क्षमता और संचयी क्षमता से संबंधित जानकारी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- 6.2 वितरण अनुज्ञापिधारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन से एक माह के भीतर बढ़ाई गई क्षमता और विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से अभिप्राप्त ऊर्जा की जानकारी प्रस्तुत करेगा।

भाग-क
नवीकरणीय क्रय बाध्यता

7. **सामान्य सिद्धांत**

7.1 **नवीकरणीय क्रय बाध्यता**

विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की वह मात्रा जो उत्पादन मीटर द्वारा दर्ज की गई, वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा अपने नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) पूर्ण करने में लायी जा सकेगी, जैसा कि इन विनियमों में प्रावधान किया गया है।

परंतु ऐसी दशा में जबकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली किसी दायित्वाधीन एकक द्वारा स्थापित की गई हो तो ऐसी प्रणाली द्वारा किया गया नवीकरणीय ऊर्जा का समस्त उत्पादन का उपयोग उस दायित्वाधीन एकक के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता के लेखे में किया जावेगा।

7.2 **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र के अंतर्गत शामिल होने हेतु पात्रता**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता एवं जारी करने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदण्ड के अधीन, राज्य के किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊर्जा हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

भाग-ख

तकनीकी मानक एवं सुरक्षा, मीटरिंग अधोसंरचना

8. ग्रिड से अंतरसंयोजन: तकनीकी मानक एवं सुरक्षा
- 8.1 ग्रिड से अंतरसंयोजन के लिए वोल्टेज स्तर यही होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 में विनिर्दिष्ट हो अथवा ऐसा वोल्टेज स्तर होगा जिसमें प्रोज्युमर को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किया जा रहा हो।
परंतु यह कि नेट मीटरिंग फ़ेमवर्क के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का निष्पादन करने वाले उच्चदाब उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को इसके निम्नदाब बस बार से संयोजन कर सकेंगे। इसकी मीटरिंग उसी वोल्टेज में, जिसमें कि उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी से सहबद्ध हो, उच्चदाब बस बार में की जावेगी।
- 8.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (विकेन्द्रित उत्पादन स्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार होगा।
- 8.3 अनुज्ञप्तिधारी के वितरण नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के अंतरसंयोजन की पुष्टि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय संबंधी मानदण्ड) विनियम, 2010 के सुसंगत प्रावधानों एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार की जायेगी।
- 8.4 प्रोज्युमर नेट मीटर के बिन्दु तक, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के सुरक्षित संचालन, अनुरक्षण एवं उस प्रणाली में किसी खराबी के सुधार के लिए उत्तरदायी होगा, विद्युत वितरण प्रणाली के सुरक्षित संचालन, अनुरक्षण और किसी खराबी के सुधार की जिम्मेदारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
- 8.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी दुर्घटना या क्षति के रोकने के लिए किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से खतरा/क्षति की दशा में किसी भी समय, कोई सूचना दिये बिना, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को डीसकनेक्ट (असंयोजित) करने का अधिकार होगा। इसके वितरण प्रणाली हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त समय के भीतर खराबी को सुधार करने हेतु प्रोज्युमर को बुला सकेगा।
- 8.6 नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, अनपेक्षित आईलैंडिंग स्थिति का पता लगाने में समर्थ होना चाहिए। प्रणाली में प्रदाय या ग्रिड के विफल होने की दशा में ग्रिड में किसी फीडिंग को रोकने हेतु आईलैंडिंग विरोधी (एंटी आईलैंडिंग) सुरक्षा होना चाहिए। आईलैंडिंग सुरक्षा उपायों के परीक्षण के लिए ग्रिड संयोजित इन्वर्टर हेतु प्रयोज्य आईईसी/आईईईई तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- 8.7 प्रोज्युमर, बैटरी बैकअप सहित या उसके बिना भी ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित कर सकेगा:
परंतु यह कि यदि उपभोक्ता, बैटरी बैकअप (पूर्ण भार बैकअप/आंशिक भार बैकअप) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने को प्राथमिकता देता है तो ऐसे सभी मामलों में ग्रिड से आपूर्ति न होने पर बैटरी पावर को ग्रिड में प्रवाहित होने से रोकने हेतु समुचित व्यवस्था इन्वर्टर में होनी चाहिए। मेन्युअल आईसोलेशन स्वीच भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 8.8 प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, आटोमेटिक सिन्क्रोनाइजेशन डिवाइस से सज्जित होनी चाहिए:

परंतु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में इन्वर्टर का उपयोग किया जा रहा हो तो ऐसी दशा में अलग से सिन्क्रोनाइजिंग डिवाइस होना आवश्यक नहीं होगा यदि यह इन्वर्टर में अन्तर्निहित हो।

- 8.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली में ऊर्जा अंतःक्षेपित करने के पूर्व उसमें से हारमोनिक्स एवं अन्य विकृतियों अलग करने की क्षमता इन्वर्टर में होनी चाहिए। कुल वोल्टेज हारमोनिक डीसटोरशन (व्हीएचडी), भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी)/आईईईई तकनीकी मानकों में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर होना चाहिए।

9. मीटरिंग अधोसंरचना

- 9.1 नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में संस्थापित सभी मीटर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन एवं प्रवर्तन) विनियम, 2006 एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप होने चाहिए।
- 9.2 सभी मीटर, आरएस 485 (या अधिक) कम्युनिकेशन पोर्ट सहित एडवांस मीटरिंग अधोसंरचना (एएमआई) सुविधा से युक्त होने चाहिए।
- 9.3 उत्पादन एवं नेट मीटर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपाप्त, संस्थापित एवं अनुरक्षित किए जायेंगे। तथापि, यदि प्रोज्युमर मीटर उपाप्त करने का इच्छुक है, तो वह उपाप्ति के पश्चात् मीटर परीक्षण एवं संस्थापन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करेगा और उनका अनुरक्षण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।
- 9.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मीटर के सत्यता सुनिश्चित करने हेतु संस्थापन के पूर्व मीटर की जांच करेगा। मीटर की जांच उसके प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित संभागीय कार्यालय में पूरी की जायेगी।
- 9.5 मीटर का, प्रोज्युमर या अन्य पक्ष के स्वामी दोनों, जैसी भी स्थिति हो, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा, संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीलबंद किया जायेगा।
- 9.6 विद्युत प्रदाय संहिता में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, प्रोज्युमर या अन्य स्वामी के प्रतिनिधि या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति में ही मीटर का परीक्षण या जांच की जायेगी।
- 9.7 यदि पात्र उपभोक्ता, "टाईम ऑफ डे टैरिफ" (टीओडी) के अधीन आते हों तो उत्पादन एवं नेट मीटर टाईम ऑफ डे उपभोग/उत्पादन के समय को दर्ज करने में समर्थ होना चाहिए।
- 9.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अधिसूचन की तिथि से तीन माह के भीतर मीटर व्यवस्था सुलभ कराने हेतु, विद्यमान बिलिंग अधोसंरचना को परिवर्धित करेगा। जैसा कि इन विनियमों में प्रावधान किए गए हैं।

भाग -ग नेट मीटरिंग व्यवस्था

10. प्रोज्युमर एवं परियोजना क्षमता

10.1 प्रोज्युमर:

- क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई भी उपभोक्ता, इन विनियमों में यथा वर्णित तकनीकी सीमाओं के अध्वधीन रहते हुए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के अधीन विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने हेतु पात्र होगा तथा वह प्रोज्युमर कहलायेगा।

- ख) प्रोज्युमर स्वयं पीडीआरईएस होगा अथवा वह किसी अन्य पक्ष के स्वामित्व में पीडीआरईएस की स्थापना के लिए उस अन्य पक्ष के साथ अनुबंध निष्पादित कर सकेगा।
- ग) प्रोज्युमर इन विनियमों के अंतर्गत पीडीआरईएस स्थापित करने हेतु नेट मीटरिंग प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- परंतु यह कि प्रोज्युमर नेट मीटरिंग का उपयोग कर दो या अधिक प्रणाली स्थापित करने हेतु पात्र नहीं होगा।

10.2 वैयक्तिक परियोजना क्षमता

- क) पीडीआरईएस की क्षमता प्रोज्युमर के स्वीकृत भार/संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी।
- परंतु यह कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किये जाने योग्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार 1 कि.वा. का होगा।
- ख) प्रोज्युमर को बैटरी भंडारण के साथ विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी।

11. नेट मीटरिंग व्यवस्था

- क) प्रोज्युमर वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उपभोग हेतु ली गई विद्युत से अपने (प्रोज्युमर के) विद्युत उपभोग को समायोजित करने हेतु विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकेगा।
- ख) प्रोज्युमर के परिसर में संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से प्रयोज्य बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत के समायोजन के पश्चात् यदि कोई विद्युत शेष हो, तो ऐसी शेष विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जा सकेगी।
- ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, समायोजन अवधि के समापन पर किसी पीडीआरईएस द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा उस न्यूनतम छतोंपरि सौर टैरिफ पर उपार्जित कर सकेगा, जो उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में करायी गई प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो। यदि ऐसा टैरिफ उपलब्ध न हो तो एसईसीआई द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त न्यूनतम टैरिफ ऐसे उपार्जन हेतु मान्य होगा।
- घ) इस व्यवस्था के अधीन ऊर्जा का लेखांकन और समायोजन विनियम 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

12. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की भूमिका

- 12.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार प्रभावी रूप से करने हेतु मांग का संकलन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों कर सकेगा।
- 12.2 डीआरई के प्रसार हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्य पक्ष स्वामी अथवा इंजिनियरिंग, उपार्जन एवं सन्निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार के रूप में कार्य कर सकेगा।

वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा अन्य पक्ष स्वामी या ईपीसी ठेकेदार के रूप में कार्य करने की दशा में, उसकी ऐसी गतिविधियों को टैरिफ विनियम के प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञापिधारी के अन्य व्यवसाय का भाग माना जायेगा।

13. होस्टिंग क्षमता:

वितरण नेटवर्क से अंतरसंयोजित होने हेतु अनुज्ञात विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की सकल क्षमता संबंधित वितरण ट्रांसफार्मर की कुल क्षमता (100 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह कि क्षमता से अधिक पीडीआरईएस की संस्थापना होने की दशा में वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाई जायेगी, ताकि उनकी संस्थापनाओं को मना न किया जा सके।

14. अंतरसंयोजन बिन्दु

14.1 नेट मीटरिंग की दशा में, इंटरफेस बिन्दु उपभोक्ता के परिसर में अर्थात् प्रोज्युमर की ओर संस्थापित वह उपयुक्त मीटर होगा जो कि सीईए (मीटरों का संस्थापन एवं संचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपयुक्त हो।

15. आवेदन का अग्रेसरण एवं प्रक्रिया

15.1 आवेदन का प्रस्तुतिकरण

- क) प्रोज्युमर (आवेदक), वितरण अनुज्ञापिधारी की वेबसाइट में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा। वितरण अनुज्ञापिधारी/राज्य नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पर कार्यवाही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संपूर्ण रूप से ऑनलाईन हो।
- ख) उस दशा में यदि आवेदक, न्यास/समिति/हाउसिंग सोसाइटी/भागीदारी फर्म/कंपनी आदि हो तो उसे आवेदन पत्र के साथ साथ प्राधिकार प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- ग) आवेदक, आवेदन के प्रस्तुतिकरण पर अभिस्वीकृति (इकनालेजमेंट) ईमेल/ संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस) प्राप्त करेंगे।
- घ) वितरण अनुज्ञापिधारी संदर्भ एवं अभिलेख के लिए पृथक से एक आवेदन रजिस्टर (मैनुअल या आनलाईन) संधारित करेगा।

15.2 आवेदन का अग्रेसरण

- क) यदि आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाए तो उस पर कार्यवाही भी ऑनलाईन की जायेगी अर्थात् तकनीकी औचित्यता सहित अनुमोदन संबंधी पत्र, जो कि वेब पोर्टल द्वारा तैयार हो एवं उसे आवेदक को ई-मेल/एसएमएस के द्वारा संसूचित किया जायेगा।
- ख) यदि ऑफलाईन प्रस्तुत आवेदन में कोई कमियाँ पायी जाती हैं तो ऐसी कमियाँ वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा पावती जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को संसूचित की जायेगी।
- ग) आवेदक संसूचन से 15 दिवस के भीतर सभी चिन्हित कमियों को दूर करेगा और वितरण अनुज्ञापिधारी को इसकी सूचना देगा।

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञापिधारी ऐसे संशोधित आवेदन का मूल्यांकन करेगा और संतुष्ट होने पर अनुमोदन पत्र (एल.ओ.ए.) जारी करेगा। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं किया जाता तो आवेदन को निरस्त माना जायेगा।

15.3 संस्थापन के लिए अनुमोदन

- क) आवेदक, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानको/संहिता के अनुसार अनुमोदन पत्र (एल.ओ.ए.) की प्राप्ति से 180 दिनों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करेगा।
- ख) यदि आवेदक, 180 दिनों के भीतर ऊर्जा प्रणाली संस्थापन करने में विफल रहता है, तो वह एक बार अवधि बढ़ाने के लिए वितरण अनुज्ञापिधारी से निवेदन कर सकेगा।

15.4 अनुबंध पर हस्ताक्षर

- क) एलओए के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक प्रणाली (वेब पोर्टल) द्वारा तैयार किये हुये अनुबंध को विधिवत पूरा कर वितरण अनुज्ञापिधारी के समक्ष ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।
- ख) आवेदक से विधिवत रूप से तैयार किये गये नेट मीटरिंग अनुबंध के प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित/डिजिटली हस्ताक्षरित किया जायेगा।

15.5 मीटर की प्राप्ति

- क) यदि आवेदक, वितरण अनुज्ञापिधारी से मीटर प्राप्त करना चाहता है तो वह समुचित शुल्क के साथ संसूचना प्रपत्र वितरण अनुज्ञापिधारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऐसी संसूचना कार्य पूर्णता के प्रतिवेदन की प्रस्तुति की संभावित तिथि से कम से कम 30 दिवस पूर्व वितरण अनुज्ञापिधारी को दी जायेगी।
- ख) यदि आवेदक, अपना स्वयं का मीटर स्थापित करना चाहता है तो वह, अधिप्राप्त मीटर को सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित आवश्यक प्रपत्र में उसकी (मीटर की) जांच हेतु निवेदन करते हुए वितरण अनुज्ञापिधारी अथवा वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा अनुमोदित जांच केंद्रों के समक्ष कार्य पूर्णता रिपोर्ट के प्रस्तुति की संभावित तिथि से कम से कम 30 दिवस पूर्व प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह कि आवेदक द्वारा अधिप्राप्त किया गया मीटर, सीईए के समुचित तकनीकी मानकों के अनुरूप एवं वितरण अनुज्ञापिधारी की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए।

परंतु यह और कि, वितरण अनुज्ञापिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर मीटर की अपेक्षित विशेषताओं/मापदण्ड को अधिसूचित करेगा।

- ग) वितरण अनुज्ञापिधारी अपने प्रत्येक पारेषण और संधारण विभाग के उप कार्यालयों में मीटर परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
- घ) वितरण अनुज्ञापिधारी/परीक्षण केन्द्र, मीटर के परीक्षण के पूर्ण होने पर इसकी सूचना आवेदक को देगा।

15.6 कार्य की पूर्णता और प्रवर्तन**अ. 500 कि.वा. से अधिक की प्रणाली के आकार हेतु**

(क) आवेदक, मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को कार्य पूर्णता प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी देगा। इस कार्य पूर्णता प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य की नोडल एजेंसी को भी दी जावेगी।

(ख) समुचित प्राधिकारी, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, कार्य के पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से 15 दिवस के भीतर प्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार उपरोक्त संस्थापित प्रणाली का निरीक्षण तथा सुरक्षा की जांच करेगा तथा सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा। इस समय सीमा में जांच कार्य पूरा करने में विफल होने पर यह माना जायेगा कि प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

परंतु यह कि कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं होने की दशा में, आवेदक समुचित प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति से सात दिवस के भीतर चिन्हित विसंगतियों का समाधान करेगा तथा पुनः कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कार्य पूर्णता प्रतिवेदन के सत्यापन के पश्चात् जारी सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति से सात दिनों के भीतर उस प्रणाली को वितरण ग्रिड से सम्मेलित करेगा, मीटर संस्थापित करेगा और प्रणाली के संयोजन तथा प्रवर्तन की तिथि का पत्र आवेदक को देगा।

(ब) 500 कि.वा. से कम के प्रणाली के आकार हेतु

(क) आवेदक, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य के नोडल एजेंसी को भी देगा।

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से सात दिनों के भीतर, प्रचलित पद्धति के अनुसार प्रणाली के निरीक्षण और सुरक्षा की जांच करेगा तथा प्रणाली का संयोजन (ग्रिड से) करेगा।

परंतु यह कि कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं होने की दशा में, आवेदक समुचित प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति से सात दिवस के भीतर चिन्हित विसंगतियों का समाधान करेगा तथा पुनः कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कार्य पूर्णता के प्रतिवेदन के सत्यापन के पश्चात् उस प्रणाली को ग्रिड से सम्मेलित करेगा, मीटर संस्थापित करेगा और संयोजन तथा प्रवर्तन की तिथि का पत्र आवेदक को प्रदान करेगा।

16. ऊर्जा लेखांकन एवं व्यवस्थापन— नेट मीटरिंग

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार समस्त पीडीआरईएस की मीटर रीडिंग करेगा।

दो. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन मीटर तथा उभयमार्गीय उपभोक्ता मीटर दोनों की रीडिंग दर्ज करेगा।

तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को प्रत्येक देयक अवधि हेतु, उसके देयक में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा—

- (क) उत्पादन मीटर में दर्ज डीआरई उत्पादन;
- (ख) देयक अवधि में प्रारंभिक तथा अंतिम शेष को सम्मिलित करते हुए पीडीआरईएस द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत की मात्रा;
- (ग) देयक अवधि में प्रारंभिक और अंतिम शेष को सम्मिलित करते हुये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त विद्युत की मात्रा;
- (घ) विद्युत का वह शुद्ध देयक, जिसका भुगतान प्रोज्युमर द्वारा किया जायेगा;
- (ङ.) नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) के निर्वहन हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त डीआरई उत्पादन;
- (च) अंतिम देयक अवधि से अग्रणीत विद्युत की अतिरिक्त मात्रा;
- (छ.) अगामी देयक अवधि में अग्रणीत विद्युत की अतिरिक्त मात्रा।

चार. यदि किसी देयक अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अंतःक्षेपित विद्युत की मात्रा उसके द्वारा खपत की गई विद्युत की मात्रा से अधिक हो तो ऐसे आधिक्य को उसी व्यवस्थापन अवधि के दौरान उपयोग हेतु आगामी देयक अवधि में अग्रणीत किया जायेगा।

पांच. यदि किसी देयक अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त विद्युत की मात्रा, पीडीआरईएस द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत की मात्रा से अधिक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी पिछली देयक अवधि से अग्रणीत किसी विद्युत आधिक्य पर विचार करने के पश्चात् शुद्ध विद्युत खपत का बिल तैयार कर प्रस्तुत करेगा।

छ. यदि प्रोज्युमर टाईम ऑफ डे टैरिफ, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, की परिधि में आता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा—

- (क) समय के किसी भाग (अर्थात् व्यस्ततम अथवा अधिक खपत का समय, सामान्य समय या कम खपत का समय आदि) में विद्युत के उपभोग को सर्वप्रथम समय के उसी भाग में विद्युत के उत्पादन से प्रतिपूर्त किया जायेगा।
- (ख) किसी देयक चक्र के समय के किसी भाग में यदि विद्युत के उपभोग से उसका उत्पादन अधिक हो तो ऐसे आधिक्य को इस प्रकार लेखांकित किया जायेगा मानो विद्युत का वह आधिक्य किसी ऐसे निकटतम समय भाग में उत्पादित हुआ हो जब टैरिफ निम्नतर हो।
- (ग) यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि पी.डी.आर.ई.एस. उत्पादन से निम्नतर टैरिफ वाले समय भागों से संपूर्ण विद्युत खपत का संमायोजन न हो जाए।
- (घ) निम्नतर टैरिफ वाले समय भागों में खपत के संमायोजन के पश्चात् उत्पादन को जो आधिक्य शेष हो उसे आगामी देयक चक्र में अग्रणीत किया जायेगा।
- (ङ.) यही प्रक्रिया, आगामी देयक चक्रों में खपत को संमायोजित करने हेतु अपनायी जायेगी।

सात. व्यवस्थापन अवधि के अंत में विद्युत के आधिक्य के व्यवस्थापन विनियम 11(ग) के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।

परंतु यह कि प्रत्येक व्यवस्थापन अवधि अर्थात् अप्रैल के प्रारंभ में अग्रणीत विद्युत शून्य होगी।

- आठ. किलोवाट प्रतिघंटा (के.डब्ल्यू.एच.)/किलोवोल्ट एम्पियर प्रतिघंटा (के.व्ही.ए.एच.) में मापी गई अंतःक्षेपित विद्युत को केवल किलोवाट प्रतिघंटा/किलोवोल्ट एम्पियर प्रतिघंटा में मापी गई विद्युत के खपत के समायोजन हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा और इसे वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किसी अन्य शुल्कों और या प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
- नी. यदि आयोग ने उपभोक्ता टैरिफ का निर्धारण किलोवोल्ट एम्पियर प्रतिघंटा के आधार पर किया हो तो उत्पादन तथा उपभोक्ता मीटर रीडिंग को भी किलोवोल्ट एम्पियर प्रतिघंटा में ही किया जायेगा और ऊर्जा का व्यवस्थापन भी तदनुसार किया जायेगा।
- दस. किसी देयक अवधि के दौरान प्रोज्युमर के पास उपलब्ध विद्युत के आधिक्य पर ध्यान दिये बिना, उपभोक्ता, समस्त अन्य प्रभारों जैसे कि नियत/मांग प्रभारों, शासकीय लेव्ही आदि का भुगतान निरंतर करता रहेगा।
- ग्यारह. उस दशा के सिवाय जबकि प्रोज्युमर वितरण अनुज्ञापिधारी का उपभोक्ता न रह जाए अथवा पीडीआरईएस समय से पहले ही खराब हो जाए, वितरण अनुज्ञापिधारी पीडीआरईएस के जीवनकाल के आधार पर ऊर्जा स्वीकार करेगा।
- बारह. उस दशा में जब प्रोज्युमर प्रणाली का परित्याग कर देता है, विद्युत के आधिक्य को असावधानी से किया गया अंतःक्षेपण माना जायेगा और वितरण अनुज्ञापिधारी इसके लिए कोई भुगतान नहीं करेगा।
- तेरह. इन विनियमों के अधीन संस्थापित पीडीआरईएस को व्हीलिंग, क्राससब्लीडी, पारेषण, वितरण तथा बैंकिंग प्रभारों और समस्त अधिभारों से मुक्त रखा जायेगा।

17. मीटर के खराब होने/बंद होने अथवा जल जाने पर ऊर्जा का लेखांकन-

- 17.1 किसी मीटर के खराब हो जाने/बंद होने अथवा जल जाने की स्थिति में, प्रोज्युमर, विनिर्दिष्ट प्रारूप में वितरण अनुज्ञापिधारी को इसकी सूचना देगा।
- 17.2 वितरण अनुज्ञापिधारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 के प्रावधानों के अनुसार मीटर को प्रतिस्थापित करेगा।
- 17.3 मीटर की खराबी के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत का मूल्यांकन मीटर रीडिंग के पिछले सात दिनों की औसत के आधार पर किया जायेगा।
- 17.4 आईडीआरईएस संयंत्र होने की दशा में, आईडीआरईएस के स्वामी द्वारा चेक मीटर में दर्ज ऊर्जा के मापन के आधार पर वितरण अनुज्ञापिधारी को देयक जारी करने पर विचार किया जायेगा।

भाग-घ

स्वतंत्र विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली

18. पात्रता एवं परियोजना क्षमता

18.1 पात्रता

कोई भी व्यक्ति, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वतंत्र विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (आईडीआरईएस) स्थापित करने और उसे वितरण अनुज्ञापिधारी के नेटवर्क से अंतरसंयोजित करने का पात्र होगा।

परंतु ऐसा आईडीआरईएस, सीईए (संवितरित उत्पादन स्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप हो।

18.2 परियोजना विशेष की क्षमता

(क) किसी विशिष्ट स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा संस्थापित किये जाने वाली आईडीआरईएस की अधिकतम क्षमता, विद्युत प्रणाली की क्षमता तथा विन्यास और उस विकेंद्रित उत्पादन स्रोत द्वारा कारित किये जाने वाले विद्युत के प्रवाह पर आधारित होगी।

परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार 500 कि.वा. का होगा।

परंतु यह भी कि कोई व्यक्ति, किसी प्रोजेक्ट के परिसर में, आईडीआरईएस के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होने वाली परियोजना विशेष की क्षमता की सीमा तक के, आईडीआरईएस की स्थापना कर सकेगा।

(ख) आईडीआरईएस के स्वामी को बैटरी भंडारण सहित विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की अनुमति होगी।

परंतु यह कि आईडीआरईएस से ग्रिड में ऊर्जा का प्रवाह, कभी भी आईडीआरईएस के निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिये।

19. वितरण अनुज्ञापिधारी की भूमिका

19.1 आईडीआरईएस से ऊर्जा की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, आयोग अधिनियम की धारा 62 के अधीन फीड-इन-टैरिफ अधिसूचित करेगा।

(क) वितरण अनुज्ञापिधारी पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आईडीआरईएस संयंत्र से विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति हेतु एक अनुबंध निष्पादित करेगा।

(ख) वितरण अनुज्ञापिधारी, वितरण नेटवर्क से आईडीआरईएस संयंत्र को जोड़ने हेतु तकनीकी दिशा निर्देश तैयार करेगा तथा इन्हें आयोग से अनुमोदित करायेगा।

(ग) वितरण अनुज्ञापिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के तीन माह के भीतर प्रशासकीय प्रक्रिया अधिसूचित करेगा।

(घ) वितरण अनुज्ञापिधारी, नवीकरणीय ऊर्जा की वह मात्रा (क्वांटम) घोषित करेगा, जो प्रत्येक वितरण उप स्टेशन/फीडर में समाहित हो सकेगा।

19.2 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन बनाए गए विनियमों में किन्हीं प्रावधानों के होते हुए भी कोई आईडीआरईएस प्रवर्तक वितरण अनुज्ञापिधारी से संयोजकता हेतु निर्धारित वोल्टेज स्तर से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकता के अनुरूप संविदा मांग प्राप्त कर सकेगा।

19.3 वितरण अनुज्ञापिधारी अधिनियम की धारा 63 के अधीन आईडीआरईएस संयंत्र से विद्युत प्राप्त कर सकेगा।

परंतु यह कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने उस हेतु समुचित नीलामी बोली का दिशा-निर्देश जारी किया है।

19.4 वितरण अनुज्ञापिधारी, बिना किसी पूर्वाग्रह के विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने में इच्छुक किसी व्यक्ति का आवेदन उस मामले के गुण-दोष के आधार पर स्वीकार करेगा।

परंतु यह कि ऐसी प्रणाली हेतु प्रयोज्य फीड इन टैरिफ, आयोग द्वारा या तो प्रकरण दर प्रकरण अथवा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु फीड इन टैरिफ के वार्षिक निर्धारण द्वारा जो भी लागू हो, निर्धारित किया जायेगा।

- 19.5 वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा आईडीआरईएस सयंत्रों से अर्जित ऊर्जा को अधिनियम की धारा 86(1) (ख) के अधीन अर्जित ऊर्जा माना जावेगा।

20. अंतर संयोजन बिन्दु

- 20.1 किसी आईडीआरईएस के मामले में अंतर संयोजन बिन्दु से तात्पर्य, वितरण अनुज्ञापिधारी के नेटवर्क के उपकेन्द्र या स्वीचयार्ड सहित उस बिन्दु से होगा जिसमें किसी आईडीआरईएस और वितरण प्रणाली के मध्य अंतर संयोजन स्थापित किया जाए और जहाँ वितरण प्रणाली में अंतःक्षेपित विद्युत को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता हो।

परंतु यह कि अंतराफलक बिन्दु, सीईए (मीटरों का व्यवस्थापन और संचालन), विनियम, 2006 और उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों के अनुसार होगा।

21. ऊर्जा बैंकिंग

- 21.1 सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सतत प्रवाह की श्रेणी प्रदान की जायेगी अर्थात् सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अंतःक्षेपित समस्त ऊर्जा को पूर्व निर्धारित माना जायेगा।

- 21.2 ऊर्जा बैंकिंग की सुविधा परियोजना के उपयोगी जीवन काल के लिए उपलब्ध होगा।

- 21.3 समस्त क्रेडिट एवं सुगम्यता के उपभोक्ताओं हेतु नेटिंग के पश्चात् शेष पूरी ऊर्जा के लिए पूरे वर्ष बैंकिंग अनुज्ञात की जायेगी।

- 21.4 बैंकिंग वर्ष, अप्रैल से मार्च तक होगा। संचित ऊर्जा की मात्रा को खपत के व्यस्ततम महीनों में (अर्थात् 25 जून से 25 जुलाई, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तथा 15 मार्च से 15 अप्रैल) तथा वर्ष भर खपत के व्यस्ततम घंटों में (शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक) उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा अथवा उसे मोचित नहीं किया जायेगा।

- 21.5 बैंकिंग प्रभार के रूप में संचित (बैंक में रखी गई) ऊर्जा की 2 प्रतिशत ऊर्जा प्रतिमाह देय होगी।

- 21.6 क्रेडिट उपयोग/तृतीय पक्ष विक्रय हेतु, संयोजन की तारीख से सुगम्यता (ओपन एक्सेस) अनुमोदन की तिथि तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को संचित ऊर्जा के रूप में मान्य किया जायेगा। इस प्रावधान के प्रयोजन हेतु संयोजन की तारीख को व्यावसायिक संचालन की तारीख (सीओडी) माना जायेगा।

- 21.7 वह संचित ऊर्जा/अतिशेष ऊर्जा जिसका उपयोग न किया गया हो, यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष के अंत में, वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा उस न्यूनतम छतोपरि सौर टैरिफ पर क्रय की जायेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में अनुज्ञापिधारी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अनुज्ञात की गई हो। यदि ऐसा कोई टैरिफ उपलब्ध न हो तो उस न्यूनतम दर पर जो एस.ई.सी.आई. द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा अनुज्ञात टैरिफ को इस हेतु न्यूनतम छतोपरि सौर टैरिफ के रूप में मान्य किया जायेगा।

वितरण अनुज्ञापिधारी को विक्रय हेतु, संयोजन करने की तारीख से व्यावसायिक संचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) तक ग्रिड के भीतर अंतःक्षेपित ऊर्जा को वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा उस परियोजना के प्रथम वर्ष के टैरिफ पर उस पीपीए के प्रावधानों के अनुसार, जो उस वितरण अनुज्ञापिधारी के साथ किया गया हो, क्रय किया जायेगा।

भाग-ड.

अधिकार संरचना, संस्थागत ढांचा, भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

22. हितधारकों की भूमिका

22.1 वितरण अनुज्ञापिधारी की भूमिका

- (क) वितरण अनुज्ञापिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को संयोजित करने के लिये उपलब्ध फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर की धारण (होस्टिंग) क्षमता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराया जायेगा। तदुपरांत, वितरण अनुज्ञापिधारी प्रतिवर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की संचयी स्थापित क्षमता तथा उपलब्ध होस्टिंग क्षमता को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- (ख) वितरण अनुज्ञापिधारी, इन विनियमों के अंतर्गत स्थापित विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के प्रकार और क्षमता को सम्मिलित करते हुए विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संबंधी अभिलेख रखेगा और आयोग को इसका त्रैमासिक प्रतिवेदन पिछली तिमाही के समापन से पन्द्रह दिवस के भीतर देगा एवं इसकी जानकारी राज्य की नोडल एजेंसी को भी देगा।
- (ग) वितरण अनुज्ञापिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना से एक माह के भीतर इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मानक "अनुबंध" के प्रारूप को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया अंगीकृत एवं अधिसूचित करेगा तथा हितधारकों की जानकारी हेतु अपने वेबसाइट पर इन्हें अपलोड करेगा।
- (घ) वितरण प्रणाली पर डीआरई प्रणाली के प्रवेश के प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण अनुज्ञापिधारी तकनीकी अध्ययन करेगा।
- (ङ) भंडारण प्रणाली के विभिन्न प्रकारों के वितरण प्रणाली पर प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण अनुज्ञापिधारी तकनीकी अध्ययन करेगा।
- (च) इन विनियमों के अधिसूचना के एक माह के भीतर, वितरण अनुज्ञापिधारी विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा सेल (डीआरई सेल) स्थापित करेगा।
- (छ) वितरण अनुज्ञापिधारी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु समुचित उपक्रम द्वारा संचालित व्यापार प्रतिमानों जैसे मांग एकत्रीकरण, अन्य पक्ष स्वामी, ईपीसी आदि का अन्वेषण करेगा।

23. डीआरई सलाहकार समिति

23.1 आयोग, इन विनियमों के अधीन डीआरई की योजना को क्रियान्वित करने हेतु डीआरई सलाहकार समिति अधिसूचित करेगा।

23.2 सलाहकार समिति उसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन हेतु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक करेगी तथा इसकी कार्यवाहियों का विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

23.3 समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:-

- (क) आयोग द्वारा नामित कोई अधिकारी- अध्यक्ष
- (ख) राज्य ऊर्जा विभाग से प्रतिनिधि;
- (ग) राज्य में प्रत्येक वितरण अनुज्ञापिधारी का प्रतिनिधि (डीआरईसेल का प्रभारी);

- (घ) राज्य के नोडल एजेंसी (एसएनए) से प्रतिनिधि;
- (ङ) विद्युत निरीक्षक कार्यालय से प्रतिनिधि;
- (च) विभिन्न शासकीय विभागों से दो स्वतंत्र बाह्य सदस्य;
- (छ) उपभोक्ताओं अथवा घरेलू, व्यवसायिक तथा औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपभोक्ता संगठनों की ओर से तीन प्रतिनिधि;
- (ज) एसएनए में प्रभारी व्यक्ति- सलाहकार समिति का संयोजक।

23.4 डीआरई सलाहकार समिति के कार्य

- (क) उपभोक्ता हितैषी प्रक्रियाओं, देयक प्रणाली आदि के विकास के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को सलाह देना।
- (ख) डीआरई प्रभाव के मूल्यांकन, भार प्रवाह के अध्ययन आदि के लिए तकनीकी मानकों का उन्नयन करना।
- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिये रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उन्नयन करना।
- (घ) डीआरई प्रणाली तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य डेटा विनिमय हेतु मानकों का उन्नयन करना।
- (ङ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य हितधारकों के मध्य जानकारियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।
- (च) समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को साझे कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना।
- (छ) प्रशिक्षण/क्षमता वर्धन हेतु साझे कार्यक्रमों का उन्नयन करना।
- (ज) साझी निगरानी तथा रिपोर्टिंग संरचना तथा डेटाबेस के अनुसंधान के उन्नयन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को सलाह देना।
- (झ) ऐसे मुद्दों पर आयोग को सहायता करना जो उसको सौंपे जायें।

24. विकेंद्रित नवीकृत ऊर्जा (डीआरई) सेल

- 24.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति के क्षेत्र में डीआरई के प्रति स्तारण को प्रोत्साहित करने हेतु एक आंतरिक डीआरई सेल गठित करेगा।
- 24.2 डीआरई सेल इन विनियमों के अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर गठित किया जायेगा।
- 24.3 डीआरई सेल का नेतृत्व एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 24.4 इन विनियमों के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन हेतु, डीआरई सेल को आवश्यक प्राधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 24.5 डीआरई सेल के कार्य
 - (क) अंतर संयोजन अग्रसरण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाना।
 - (ख) डीआरई आवेदनों के अग्रसरण के लिये वेब आधारित आवेदन प्रणाली को सुनिश्चित करना एवं उसका प्रबंध करना।
 - (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण केन्द्र द्वारा डीआरई प्रणाली की ऑनलाइन निगरानी हेतु तंत्र का विकास करना एवं जांच करना।

- (घ) नियामक अनुमोदन प्राप्त करना।
- (ङ) राज्य में डीआरई प्रणाली स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना।
- (च) डीआरई के संबंध में क्षेत्र अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (छ) अग्रसरण एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन के बारे में क्षेत्र अधिकारियों को अवगत कराना।
- (ज) इन विनियमों के प्रावधानों के प्रति उत्तरदायी होकर बिलिंग की प्रक्रिया/प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना।
- (झ) इन विनियमों के अधीन यथा परिकल्पित निगरानी और रिपोर्टिंग का दायित्व लेना।
- (ञ) डीआरई सलाहकार समिति के साथ समन्वय करना तथा उसके साथ बैठक में उपस्थित होना।
- (ट) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिस्पर्धी बोली (नीलामी) के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने का निर्णय लेता है, तो मानक दस्तावेज तैयार करना, जैसे हितों की अभिव्यक्ति, आरएफपी, ऊर्जा क्रय एवं ऊर्जा विक्रय अनुबंध, त्रिपक्षीय अनुबंध इत्यादि।
- (ठ) डीआरई स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति हेतु योजना बनाना।
- (ड) डीआरई प्रणाली से संग्रहित डेटा का विश्लेषण करने का दायित्व लेना।

भाग-च विविध

25. शास्ति या क्षतिपूर्ति

- 25.1 इन विनियमों के अधीन विहित समय-सीमा में कार्य पूरा करने में असफल होने की दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विलंब के प्रत्येक दिन हेतु रु. 1000 प्रतिदिन की दर से शास्ति उद्ग्रहित की जायेगी।
- 25.2 इन विनियमों के अधीन किसी वर्ष के दौरान प्रोद्भूत शास्ति की कटौती वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उस वर्ष की अंशपूँजी से की जायेगी।

26. निर्देश देने की शक्ति

समय-समय पर आयोग द्वारा ऐसे निर्देश व आदेश जारी किए जा सकेंगे जिन्हें इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु समुचित समझा जाये।

27. शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग, स्वविवेक से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, उन पक्षकारों को, जिनके प्रभावित होने की संभावना हो, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी सामान्य सा विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

28. संशोधन करने की शक्ति

आयोग समय-समय पर, इन विनियमों के किसी प्रावधान में, (आवश्यक होने पर) कोई जोड़, बदलाव, परिवर्तन, निलंबन, उपांतरण, संशोधन, अथवा निरसन कर सकता है।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग, आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान निर्मित कर सकेगा, जो कि अधिनियम के उपबंधों तथा इन विनियमों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हो।

30. निरसन एवं व्यावृत्ति

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छतोपरि पीव्ही सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत के उपार्जन हेतु टैरिफ का अवधारण) विनियम, 2013 द्वारा शासित विद्यमान सौर छतोपरि परियोजना उसी रूप में नियमित रूप से शासित होती रहेंगी तथा इस विनियमों द्वारा शासित नहीं होगी।

परन्तु यह कि ऐसी सौर छतोपरि परियोजना इन विनियमों के अधीन पात्र होने का विकल्प ले सकेगी।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./-
(एस. पी. शुक्ला)
सचिव

Raipur, the 4th October 2019

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (GRID INTERACTIVE DISTRIBUTED RENEWABLE ENERGY SOURCES) REGULATIONS, 2019

No. 82/CSERC/2019. — Govt. of India is giving thrust to develop renewable source of energy being environment friendly in nature. Also the Electricity Act 2003 provides for policy formulation by the Central Government and mandates State Electricity Regulatory Commissions (SERCs) to take steps to promote renewable sources of energy within their area of jurisdiction.

In 2014, the Government of India (GoI) set an ambitious target to achieve 40 GW of cumulative installed capacity from Grid-Connected Rooftop Photovoltaic (GRPV) systems by 2022. In order to achieve this ambitious target, a strategic combination of Top- Down impetus and Bottom-Up execution approach were initiated, in which GoI, in partnership with the State Governments and Regulators, adopted a number of measures to promote the rooftop solar sector.

As per MNRE, GoI guidelines, minimum capacity of 01 KWp solar power PV plant is eligible for grid connectivity. Most of the States have net metering provision and connectivity of solar power plant for 1 KW capacity under their solar roof top power plant regulations.

Forum of Regulators (FOR) has also came out with draft model regulations for Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources in the Month of April 2019.

Further, power procured by distribution licensee from such projects can also qualify for their renewable purchase obligation.

Keeping the above in view and in exercise of powers vested under Section 42, 61, 66, 86 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (the Commission) hereby makes the following Regulations specifying the terms and conditions for distributed solar power projects in the State.

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These Regulations may be called the "Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulations, 2019.
- 1.2 These Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- 1.3 These Regulations shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

2. Definitions and interpretations

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- a) **“Act”** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof;
- b) **“Agreement”** means an agreement entered into by the distribution licensee with the person;
- c) **“Billing Cycle or Billing Period”** means the period for which regular electricity bills are prepared for different categories of consumers by the distribution licensee, as specified by the Commission;
- d) **“Commission”** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission constituted under the Act;
- e) **“Contract Demand”** or **“Sanctioned Load”** means the maximum demand in kW, kVA or BHP agreed to be supplied by the licensee and indicated in the agreement executed between the licensee and the consumer;
 Provided that in case of multi-storied buildings (residential as well as commercial), contract demand shall mean aggregate load of common area/facilities and individual units.
- f) **“Distributed Renewable Energy (DRE)”** means the electricity fed into the electric system at a voltage level of 132 KV and below using solar PV system or such other forms of renewable sources as may be approved by the Commission from time to time or as recognized by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;
- g) **“Financial Year”** or **“Year”** means the period beginning from first of April in an English calendar year and ending with the thirty first of the March of the next year;
- h) **“Generation Meter”** means an energy meter installed at the point at which electricity generated by the renewable energy system is delivered to the eligible consumer;
- i) **“Grid Quality energy”** for the purpose of these regulations means electricity generated from renewable energy sources by use of equipments for which standards and specifications are recognised by MNRE
- j) **“Hosting capacity”** means capacity defined under Regulation 13 of these Regulations;
- k) **“Independent Distributed Renewable Energy System”** or **“IDRES”** means a distributed renewable energy system set up by any person, connected to the licensee’s network or network of other person, selling electricity to the distribution licensee under a Power Purchase Agreement or selling electricity to any person under open access or having captive use;
- l) **IDRES owner** is a person who owns the IDRES plant;

- m) **“Interconnection point”** means the interface of the renewable energy system with the outgoing terminals of the meter/distribution licensee’s cut-outs/switchgear fixed in the premises of the Eligible Consumer;
- Provided that, in case of an Eligible Consumer connected at the High Tension (“HT”) level, the “inter-connection point” shall mean the interface of the renewable energy system with the outgoing terminals of the distribution licensee’s metering cubicle placed before such consumer’s apparatus;
- n) **“Invoice”** means either a monthly bill/supplementary bill or a monthly invoice/supplementary invoice raised by the distribution licensee;
- o) **“kWp”** means kilo Watt peak;
- p) **“Net meter”** or **“bidirectional meter”** means an energy meter which is capable of recording both import and export of electricity;
- q) **“Net metering”** means an arrangement under which renewable energy system installed at eligible consumer premises delivers surplus electricity, if any, to the distribution licensee after offsetting the electricity supplied by distribution licensee during the applicable billing period.
- r) **“Obligated entity”** means the entity mandated under Section 86(1)(e) of the Act and identified under Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) Regulations, 2016;
- s) **“Premises”** means rooftops or/and elevated areas on the land, building or infrastructure or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangements have been made by the licensee for supply of electricity;
- t) **“Prosumer”** is a person who consumes electricity from the grid and can also inject distributed renewable energy into the grid using the same network;
- u) **“Prosumer Distributed Renewable Energy System”** or **“PDRES”** means a distributed renewable energy system set up by the prosumer under net metering;
- v) **“Renewable energy”** means the grid quality electricity generated from renewable energy sources, including a combination of such sources;
- w) **“Renewable Energy Certificate (REC)”** means the certificate issued in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010;
- x) **“Renewable Energy System”** means the generating station that generates electricity from renewable energy source(s) or combination thereof;
- y) **“Rooftop Solar PV System”** means the solar photo voltaic power system installed on the rooftops of consumer premises that uses sunlight for direct conversion into electricity through photo voltaic technology;
- z) **“Settlement Period”** means the period at the end of which net-metering settlement between the distribution licensee and the prosumer takes place,

generally beginning from first of April in an English calendar year and ending with the thirty first of March of the next year.

- aa) **"State Nodal Agency"** or **"SNA"** means an entity in the State, designated by the State Government to act as the agency to deal with issues related to coordinated development of renewable energy, subsidy approval and disbursement to persons developing distributed energy projects, etc.;
- bb) **"Third Party Owned"** means ownership in which a developer owns a Solar Power Project that is installed on the premise for which a commercial lease or revenue share agreement with the owner has been entered into by the Solar Power Developer. **"Third Party Owner"** may be construed accordingly.
- cc) **"Useful life"** in relation to a roof top PV Solar generating station shall be 25 years.

2.2 All other words and expressions used in these Regulations, although not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. Other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law.

3. Scope and applicability

3.1 These Regulations would apply to:-

- a) PDRES owned by prosumer or Third Party Owned. In the third party owned Solar Power Project, the following will apply:
 - i. A Rooftop or Land Owner may lease out / rent the premise to a Solar Project Developer on a mutual commercial arrangement. Under this arrangement, the owner of the premise engages a turnkey installer to design and install the project. The Commercial arrangement between the project developer and the premise owner will be submitted to the Distribution Licensee for records.
 - ii. The billing will be with one of the two parties that is decided and informed to the Distribution Licensee as a party authorized to bill.
- b) IDRES installed in the area of supply of the distribution licensee.

3.2 These Regulations do not preclude the right of any person to undertake renewable energy projects through alternative mechanism.

3.3 The consumer availing open access under Section 42(2) of the Act may establish renewable energy systems in its premises only if it is under the IDRES.

4. Control period:

4.1 These Regulations shall come into force from the date of notification in the Official Gazette.

5. Web based application processing system

5.1 The distribution licensee shall implement a web-based application processing system for processing the applications for distributed renewable energy systems within three months from the date of notification of these Regulations.

5.2 Matters related to subsidy application shall be dealt by the State Nodal Agency.

6. Monitoring and reporting framework

6.1 The distribution licensee shall quarterly publish on its website information related to DRE capacity added during the quarter and cumulative capacity on each element of the distribution system.

6.2 The distribution licensee shall every year submit information related to the capacity added and energy procured from DRE systems within one month from the end of financial year.

Part — A
Renewable Purchase Obligation

7. General principles**7.1 Renewable Purchase Obligation**

The quantum of distributed renewable energy generation as recorded by the generation meter shall be accounted by the distribution licensee towards compliance of its Renewable Purchase Obligation (RPO) as stipulated in these Regulations.

Provided that in case the renewable energy system is set up by an obligated entity, entire renewable energy generated by these renewable energy systems shall be accounted for RPO compliance by the obligated entity.

7.2 Eligibility to participate under Renewable Energy Certificate mechanism

The issuance of Renewable Energy Certificate shall be as per the eligibility criteria specified under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof.

Part — B
Technical Standards and Safety, Metering Infrastructure

8. Interconnection with the grid: technical standards and safety

8.1 The voltage level for interconnection with the grid shall be as specified in the Chhattisgarh State Electricity Supply Code 2011 or the voltage level at which the prosumer has been given supply by the distribution licensee.

Provided that the HT consumer executing the renewable energy project under net metering framework may connect the renewable energy system at its LT bus bar. The

metering shall be done at HT level bus bar at the same voltage the consumer is presently connected with the distribution licensee.

- 8.2 The interconnection of the renewable energy system with the network of the distribution licensee shall be as per the CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 and subsequent amendments thereof.
 - 8.3 The interconnection of the renewable energy system with the distribution system of the licensee shall conform to the relevant provisions of the CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof.
 - 8.4 The prosumer shall be responsible for safe operation, maintenance and rectification of any defect of the renewable energy system up to the point of net meter, beyond which the responsibility of safe operation, maintenance and rectification of any defect in the system, including the net meter, shall be that of the distribution licensee.
 - 8.5 The distribution licensee shall have the right to disconnect the renewable energy system at any time in the event of threat/damage from such renewable energy system to its distribution system to prevent any accident or damage, without any notice. The distribution licensee may call upon the prosumer to rectify the defect within a reasonable time.
 - 8.6 The renewable energy system must be capable of detecting an unintended islanding condition. The system must have anti-islanding protection to prevent any feeding into the grid in case of failure of supply or grid. Applicable IEC/IEEE technical standards shall be followed to test islanding prevention measure for grid connected inverters.
 - 8.7 The prosumer may install grid interactive renewable energy system with or without battery backup.
Provided that if the consumer prefers setting up renewable energy system with battery backup (full load backup/partial load backup), in all such cases the inverter shall have appropriate arrangement to prevent the battery power to flow into the grid in the absence of grid supply and manual isolation switch shall also be provided.
 - 8.8 Every renewable energy system shall be equipped with an automatic synchronization device.
Provided that the renewable energy system using inverter shall not be required to have separate synchronizing device if it is inherently built into the inverter.
 - 8.9 The inverter shall have the features of filtering out harmonics and other distortions before injecting the energy into the system of the distribution licensee. The Total Voltage Harmonic Distortion (VTHD) shall be within the limits specified in the Indian Electricity Grid Code (IEGC)/IEEE technical standards.
- 9. Metering infrastructure**
- 9.1 All meters installed at the renewable energy system shall comply with the CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and subsequent amendments thereof.

- 9.2 All meters shall have Advanced Metering Infrastructure (AMI) facility with RS 485 (or higher) communication port.
- 9.3 The generation and net meter(s) shall be procured, installed and maintained by the distribution licensee. However, if the prosumer wishes to procure the meter(s), he may procure and present them to the distribution licensee for testing and installation and shall be maintained by the distribution licensee.
- 9.4 The distribution licensee shall undertake meter testing before installation to ensure accuracy of the meter. Testing shall be undertaken at the concerned division office of the licensee and completed within 15 days from the receipt of meter.
- 9.5 The meter shall be jointly inspected by both the prosumer or the third party owner, as the case may be, and the distribution licensee, and shall be sealed by the distribution licensee.
- 9.6 The meter shall be tested or checked only in the presence of the representatives of the prosumer or the third party owner, as the case may be, and the distribution licensee and as per the procedure specified in the Electricity Supply Code.
- 9.7 If the eligible consumer is under the ambit of time of day tariff, both generation and net meter shall be capable of recording time of day consumption/generation.
- 9.8 The distribution licensee, within three months of the date of notification of these Regulations, shall modify its existing billing infrastructure to facilitate the metering arrangements as envisaged under these Regulations.

Part — C Net Metering Arrangement

10. Prosumer and project capacity

10.1 Prosumer

- a) Any consumer in the area of the distribution licensee shall be eligible to establish distributed renewable energy systems under net metering arrangement on a first-come-first-serve basis, subject to the technical limitations as outlined in these Regulations and shall be called Prosumer.
- b) The prosumer may own the PDRES or may enter into a contract with the Third Party Owner for establishment of the PDRES.
- c) The prosumer may avail net metering mechanism to set up prosumer distributed renewable energy system under these Regulations.

Provided that, the prosumer shall not be eligible to establish two or more systems using net-metering.

10.2 Individual project capacity

- a) The capacity of PDRES shall not exceed the sanctioned load or contract demand of the prosumer, as the case may be.

Provided that minimum size of renewable energy system that can be set up

under net metering arrangement would be 1kW.

- b) The prosumer is allowed to set up distributed renewable energy system with battery storage.

11. Net metering arrangement

- a) The prosumer may set up distributed renewable energy system to offset the prosumer's electricity consumption from the distribution licensee.
- b) The renewable energy system installed at the prosumer's premises may deliver excess electricity, if any, to the distribution licensee after offsetting the electricity supplied by the distribution licensee during the applicable billing period.
- c) The distribution licensee shall procure any excess energy generated by PDRES at the end of the settlement period at lowest rooftop solar tariff discovered through competitive bidding undertaken by distribution licensee in the last financial year. If such tariff is not available, lowest tariff through competitive bidding undertaken by SECI in last financial year shall be considered.
- d) The energy accounting and settlement under this arrangement shall be in accordance with Regulation 16.

12. Role of the distribution licensee

12.1 The distribution licensee may undertake demand aggregation and other related activities to effectively deploy distributed renewable energy in its area of supply.

12.2 The distribution licensee may act as Third Party Owner or Engineering, Procurement, and Construction (EPC) contractor to undertake the deployment of the DRE.

In case the distribution licensee acts as a Third Party Owner or EPC contractor, such activity of the distribution licensee shall be considered as part of its other business as per the provisions of the Tariff Regulations.

13. Hosting capacity:

The cumulative capacity of distributed renewable energy systems allowed to be interconnected with the distribution network shall not exceed 100% of the respective distribution transformer capacity.

Provided that in case of excess installation, distribution transformer capacity shall be increased to avoid denial of permission for setting up PDRES.

14. Interconnection point

14.1 In case of net metering, the interface point shall be the appropriate meter as per CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, installed at consumer's premises i.e., prosumer side of the meter.

15. Application process and procedure**15.1 Filing of application**

- a) The prosumer (applicant) shall apply online on the distribution licensee website. Distribution licensee/ State nodal agency must ensure that processing of the application should be done entirely through the online system without any human interface whatsoever.
- b) In case the applicant is a Trust/Committee/Housing Society and other societies/Partnership Firm/Company etc., it shall submit the Application Form along with an Authorization Certificate.
- c) The applicant shall receive an acknowledgement email/short message service (SMS) on submission of the application.
- d) The distribution licensee shall maintain a separate Application Register (manual or online) for reference and records.

15.2 Application processing

- a) The application, if filled online, shall be processed online i.e. the technical feasibility along with the letter of approval shall be generated by web portal and communicated to the applicant through email / SMS.
- b) In case of any deficiencies found in the application filed offline, the same shall be intimated by the distribution licensee within 15 days from the date of issuance of acknowledgement of the application.
- c) The applicant shall remove all identified deficiencies within a period of 15 days from the receipt of intimation and intimate the distribution licensee about the resolution of deficiencies.

Provided that the distribution licensee shall assess the updated application and issue LoA upon satisfaction. In case deficiencies are not removed in the said period, the application shall stand rejected.

15.3 Approval for installation

- a) The applicant shall install the renewable energy system within 180 days of receiving the LoA, as per the Standards/Codes specified under these Regulations.
- b) In case the applicant fails to install the system within 180 days, the applicant may apply for one-time extension to the distribution licensee.

15.4 Signing of agreement

- a) The applicant shall submit, a duly filled system (web portal) generated agreement, online to the distribution licensee within 30 days of the date of issuance of LoA.
- b) The agreement shall be then signed/digitally signed by the distribution licensee within three days of receipt of duly filled net metering agreement from the applicant.

15.5 Procurement of meters

- a) In case the applicant intends to procure meter from the distribution licensee, the applicant shall submit the Intimation Form along with an appropriate procurement fee to the distribution licensee. This shall be intimated to the distribution licensee at least 30 days prior to the expected date of submission of Work Completion Report.
- b) In case the applicant intends to procure meter on its own, the applicant shall submit the procured meter along with a safety certificate and request form for testing of meter to the distribution licensee/test centres approved by the distribution licensee, at least 30 days prior to the expected date of submission of Work Completion Report.

Provided that the meter procured by the applicant should comply with the appropriate technical standards of the CEA and specifications of the distribution licensee.

Provided further that the distribution licensee shall notify meter specification(s) within one month from the date of notification of these Regulations

- c) Distribution licensee shall provide meter testing facilities at all its Sub-transmission and Maintenance division offices across the State.
- d) The distribution licensee/test centres shall intimate the applicant regarding the completion of the meter testing.

15.6 Work completion and commissioning**A. For system size greater than 500 kW:**

- a) The applicant shall submit the Work Completion Report to the Office of the Chief Electrical Inspector with a copy to the distribution licensee. A copy of work completion report shall also be shared with the State Nodal Agency.
- b) The appropriate authority, as specified above, shall undertake system inspection and safety checks, as per the applicable practices, within fifteen days of submission of Work Completion Report and issue safety certificate. Failing to this timeline shall mean deemed to be issuance of certificate.

Provided that in case the Work Completion Report is not satisfactory, the applicant shall resolve the discrepancies within seven days of receiving the intimation from the appropriate authority, and resubmit the Work Completion Report.

- c) The distribution licensee, within seven days of receiving the safety certificate, shall synchronize the system with the distribution grid post verification of the Work Completion Report, install meters and issue letter of synchronization and Date of Commissioning (COD) to the applicant.

B. For system size less than 500 kW:

- a) The applicant shall submit the Work Completion Report to the distribution licensee with copy to State Nodal Agency.
- b) The distribution licensee shall undertake system inspection and safety checks, as per the applicable practices, within seven days of submission of the Work Completion Report and undertake system synchronization.

Provided that in case the Work Completion Report is not satisfactory, the applicant shall resolve the discrepancies within seven days of receiving the intimation from the appropriate authority, and resubmit the Work Completion Report.

- c) The distribution licensee shall synchronize the system with the distribution grid post verification of the Work Completion Report, install meters and issue letter of synchronization and Date of Commissioning (COD) to the applicant.

16. Energy accounting and settlement – Net metering

- i. The distribution licensee shall undertake meter reading of all PDRES according to the regular billing cycle.
- ii. The distribution licensee shall record readings of both generation meter and bidirectional consumer meter.
- iii. For each billing period, the distribution licensee shall make the following information available on its bill to consumer:
 - a) DRE generation recorded in the generation meter;
 - b) Electricity injected by PDRES in the grid in the billing period, including opening and closing balance;
 - c) Electricity supplied by the distribution licensee in the billing period, including opening and closing balance;
 - d) Net billed electricity, for which payment is to be made by the prosumer;
 - e) DRE generation used by it for RPO compliance;
 - f) Excess electricity carried forward from the last billing period;
 - g) Excess electricity carried forward to the next billing period.
- iv. In case the electricity injected by the renewable energy system exceeds the electricity consumed during the billing period, such excess injected electricity shall be carried forward to the next billing period as excess electricity and may be utilized in the following billing periods but within the same settlement period;

- v. In case the electricity supplied by the distribution licensee during any billing period exceeds the electricity injected in the grid by the PDRES, the distribution licensee shall raise a bill for the net electricity consumption after taking into account any excess electricity carried forward from the previous billing period;
- vi. In case the prosumer is under the ambit of time of day tariff, as determined by the Commission from time to time, the following process shall be followed;
 - a) Electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the same time block.
 - b) Any excess generation over consumption in any time block in a billing cycle shall be accounted as if the excess generation occurred during the immediately lower tariff time block.
 - c) This process will continue till all consumption in lower tariff blocks is set off against PDRES generation.
 - d) Any excess generation after setting off consumption in lower tariff time blocks would be carried forward to the next billing cycle.
 - e) Same process would be used to set off consumption in the subsequent billing cycle.
- vii. The excess electricity at the end of settlement period shall be settled by the distribution licensee as per Regulation 11(c).

Provided that at the beginning of each settlement period, i.e., April, carried forward electricity shall be zero.
- viii. The injected electricity measured in kilowatt hour (kWh)/kVAh shall only be utilized to offset the consumption measured in kWh/kVAh and shall not be utilized to compensate any other fee and charges levied by the distribution licensee;
- ix. In case, the consumer tariffs have been determined by the Commission on kVAh basis, the generation and consumer meter readings shall also be taken in kVAh and settlement of energy done accordingly.
- x. Regardless of availability of excess electricity with the prosumer during any billing period, the consumer will continue to pay all other charges such as fixed/demand charges, Government levy, etc.
- xi. The distribution licensee shall accept the power as per the useful life of the PDRES unless the prosumer ceases to be a consumer of the licensee or the PDRES is abandoned earlier.
- xii. In case the prosumer leaves the system, excess electricity shall be considered as inadvertent injection and shall not be paid for by the distribution licensee.

- xiii. The PDRES installed under these Regulations shall be exempted from all wheeling, cross subsidy, transmission and distribution and banking charges and surcharges.

17. Energy accounting during meter defect/failure/burnt

- 17.1 In case of defective/failure/burnt condition of any meter, the prosumer shall report the failure, to the distribution licensee in the specified format of distribution licensee.
- 17.2 The distribution licensee shall replace the meter as per provisions specified in the Chhattisgarh State Electricity Supply Code 2011.
- 17.3 The electricity generated by the renewable energy system during the period in which the meter is defective shall be assessed on the basis of average of last seven days of the meter reading.
- 17.4 In case of IDRES plant, energy recorded in check meter would be considered by IDRES owner for the purpose of billing the distribution licensee.

Part-D

Independent Distributed Renewable Energy Systems

18. Eligibility and project capacity

18.1 Eligibility

Any person shall be eligible to establish and interconnect IDRES with the network of distribution licensee on a first-come-first-serve basis.

Provided that the IDRES conforms to the provisions under the CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013.

18.2 Individual project capacity

- a) The maximum IDRES capacity, to be installed by a person at a particular location, shall be based on the capacity and configuration of the electricity system, and in the power flows that distributed generation resource may cause.

Provided that the minimum size of distributed renewable energy system that can be set up under this arrangement shall be 500 kW.

Provided further that any person may set up IDRES on the premises of a prosumer and the individual project capacity limit as applicable as per IDRES guidelines.

- b) The IDRES owner is allowed to set up distributed renewable energy system with battery storage.

Provided that the flow of energy from IDRES to the grid is never more than the rated capacity of the IDRES.

19. Role of the Distribution Licensee

- 19.1 In order to facilitate procurement of power from IDRES plants, the Commission shall notify feed-in tariff under Section 62 of the Act.
- The distribution licensee shall enter into an agreement for procurement of distributed renewable energy from IDRES plant on first-cum-first-serve basis.
 - The distribution licensee shall prepare technical guidelines for connecting IDRES plants to distribution network and seek approval of the Commission for the same.
 - The distribution licensee shall notify administrative procedures within three months of the date of notification of these Regulations.
 - The distribution licensee shall announce the quantum of renewable energy it can absorb at each distribution substation/feeder.
- 19.2 Notwithstanding anything contained in any regulation framed under the Electricity Act 2003, for IDRES plants, IDRES developer may seek contract demand, from the distribution licensee, as per its requirement irrespective of the voltage level of the connectivity.
- 19.3 The distribution licensee may undertake procurement of power from IDRES plants under Section 63 of the Act.
- Provided that the Ministry of Power, Government of India, has issued appropriate bidding guidelines for the same.
- 19.4 The distribution licensee shall accept application from any person interested in setting up a distributed renewable energy system on case to case basis without any prejudice.
- Provided that the applicable feed in tariff for such systems shall be determined by the Commission either on case-by-case basis or during the annual feed in tariff determination for renewable energy, as applicable.
- 19.5 Energy procured by the distribution licensee under IDRES plants shall be considered as a part of procurement under Section 86(1)(b) of the Act.

20. Interconnection point

- 20.1 In case of IDRES, the Interconnection Point shall mean a point on the network of the distribution licensee, including a sub-station or a switchyard, where the interconnection is established between the IDRES and the distribution system and where electricity injected into the distribution system can be measured unambiguously.

Provided that, the interface point shall be as per CEA (Installation and Operation of Meters), Regulations, 2006 and subsequent amendments thereof.

21. Banking of Energy

- 21.1 All solar power projects shall be awarded must-run status i.e. injection from the solar power projects shall be considered as deemed to be scheduled.

- 21.2 Banking facility will be available for useful life period of the project.
- 21.3 Banking of 100% of energy after netting shall be permitted for all captive and open access consumers.
- 21.4 The banking year shall be from April to March. Banked units cannot be consumed/redeemed in the peak months (i.e. 25th June to 25th July, 10th September to 10th October and 15th March to 15th April) and in the peak hours (6 pm to 11 pm) throughout the year.
- 21.5 Banking charges @ 2% of banked energy shall be payable in kind.
- 21.6 For captive/ third party sale, energy injected into the grid from date of synchronization to open access approval date will be considered as deemed energy banked. For the purpose of this provision, the date of synchronization shall be considered as date of commercial operation (CoD).
- 21.7 The unutilized banked energy/surplus energy, if any, at the end of financial year shall be purchased by distribution licensee at lowest rooftop solar tariff discovered through competitive bidding undertaken by distribution licensee in the last financial year. If such tariff is not available, lowest tariff through competitive bidding undertaken by SECI in last financial year shall be considered.

For Sale to distribution licensee, energy injected into the grid from date of synchronization to Commercial Operation Date (COD) will be purchased by the distribution licensee at the first year tariff of the project, as per the provisions of the PPA with distribution licensee.

Part — E

Governance Structure, Institutional Framework, Roles and Responsibilities

22. Role of Stakeholders

22.1 Role of the Distribution Licensee

- a) The distribution licensee shall provide information regarding feeder/distribution transformer hosting capacity available for connecting renewable energy system within three (3) months from the date of notification of these Regulations. The distribution licensee thereafter shall annually publish on its website cumulative installed capacity of the renewable energy systems and available hosting capacity.
- b) The distribution licensee shall maintain a record of DRE systems set up under these Regulations with details including the type and capacity of renewable energy system and submit quarterly report within fifteen days of the previous quarter to the Commission with intimation to the State Nodal Agency.
- c) The distribution licensee shall adopt and notify the procedures and formats including standard "Agreement" form as specified under these Regulations and upload the same on its website for information of stakeholders within one month of the notification of these Regulations.

- d) The distribution licensee shall undertake technical studies to assess the impact of penetration of DRE systems on the distribution system
- e) The distribution licensee shall undertake technical studies to assess the impact of different types of storage systems on the distribution system.
- f) The distribution licensee shall set up a Distribute Renewable Energy Cell (DRE Cell) within one months of the notification of these Regulations.
- g) The distribution licensee may explore appropriate utility driven business models such as demand aggregation, Third Party Owner, EPC, etc. to promote installations of distributed renewable energy in its area of supply.

23. DRE Advisory Committee

23.1 The Commission shall notify DRE Advisory Committee to facilitate DRE program implementation under these Regulations.

23.2 The Advisory Committee shall meet at least once every quarter to take up the functions assigned to it and submit its proceedings to the Commission.

23.3 The Committee shall consist of the following members:

- a) Any officer nominated by the Commission – Chairman
- b) Representative from the State Power Department;
- c) Representative of each distribution licensee in the State (In-Charge of DRE cell);
- d) Representative from SNA;
- e) Representative from the Office of Electrical Inspector;
- f) Two independent external members from different Government departments
- g) Three representatives from consumer or consumer associations representing interests of domestic, commercial, and industrial category consumers.
- h) Person in charge at SNA - Convener of the Advisory Committee;

23.4 Functions of DRE Advisory Committee

- a) Advise the distribution licensee(s) to develop consumer friendly procedures, billing systems, etc.
- b) Develop technical standards for DRE impact assessment, load flow studies, etc.
- c) Develop reporting requirements for the distribution licensees
- d) Develop standards for data exchange between DRE system and the distribution licensee
- e) Promote cross-learning among the distribution licensees and other stakeholders
- f) Assist in developing common programs across the distribution licensees

- g) Develop common programs for training/capacity building
- h) Advise the distribution licensee(s) in developing common monitoring & reporting framework and maintenance of database
- i) Assist the Commission on issue that may be referred to it

24. Distributed Renewable Energy (DRE) Cell

24.1 Each distribution licensee shall constitute an in-house DRE Cell, to promote DRE deployment in its area of supply.

24.2 DRE Cell shall be constituted within one month from the date of notification of these Regulations.

24.3 DRE Cell shall be headed by a senior officer.

24.4 DRE Cell shall be provided with necessary authority and resources so as to execute the functions assigned to the distribution licensee under these Regulations.

24.5 Functions of DRE Cell

- a) Design interconnection processes and procedures
- b) Ensure and manage web based application system for processing DRE applications
- c) Develop and monitor mechanism for online monitoring of DRE systems by the distribution licensee control center
- d) Obtain regulatory approvals
- e) Guide persons desirous of setting up DRE systems in the State
- f) Facilitate training of field officers on DRE
- g) Appraise field officials about the changes in processes and procedures
- h) Ensure modifications to the billing procedures/systems to account for provisions in these Regulations
- i) Undertake monitoring and reporting as envisaged under these Regulations
- j) Coordinate with DRE Advisory Committee and attend meetings of the same
- k) Prepare standard documents, such as expression of interest, RFP, energy purchase and energy sale agreement, tripartite agreement, etc. if the distribution licensee decides to procure power through competitive bidding
- l) Prepare plan for procurement of energy from DRE sources
- m) Undertake analysis of data collected from DRE systems

Part — F
Miscellaneous

25. Penalty or compensation

- 25.1 In case of failure to meet timelines prescribed under these Regulations, penalty of Rs.1000 per day for each day of delay shall be levied on the distribution licensee.
- 25.2 The penalty accrued during the year under these Regulations will be deducted from the Return on Equity to the distribution licensee for that year.

26. Power to give directions

The Commission may from time to time issue such directions and orders as considered appropriate for implementation of these Regulations.

27. Power to relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

28. Power to amend

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

29. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by an order, make such provisions, not inconsistent to the provision of the Act and these Regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

30. Repeal and savings

Existing Solar rooftop projects governed by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Determination of tariff for procurement of power from Rooftop PV Solar Power Projects by distribution licensees of State) Regulations, 2013 , shall continue to be governed by the same and shall not be governed by these Regulations.

Provided that such solar rooftop project may opt to become eligible under these Regulations.

By the order of the Commission

Sd/-
(S. P. Shukla)
Secretary.